गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय
गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 33वीं बैठक दिनांक 06.02.2023 को अपराह्न 03:00 बजे हाइब्रिड मोड (ऑनलाईन एवं आफलाईन माध्यम) से मा0 कुलपति, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

शिक्षा सोसाइटी द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यः			
1.	**प्रो0सुनील कुमार खरे** डीन, आर एंड डी एंड इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंजाइम और माइक्रोबियलबायो कैमिस्ट्री लैब, रसायनिकी विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली	सदस्य	उपस्थित (आनलाईन माध्यम से)
2.	**प्रो0संतोष कुमार** जीओलाजी डिपार्टमेंट, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड	सदस्य	उपस्थित (आनलाईन माध्यम से)
3.	**प्रो0 शैलेंद्र सिंह गौरव** डीन, कृषि फैक्ल्टी प्रोफेसर एवं पूर्व प्रमुख जेनिटक एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ–240004	सदस्य	उपस्थित (आनलाईन माध्यम से)
विश्वविद्यालय के आचार्य/अधिष्ठातागण/प्रभारी, अधिष्ठातागण			
4.	**प्रो0 एन.पी. मलकानियाँ** प्रोफेसर, अधिष्ठाता शैक्षिक अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अधिष्ठाता स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एण्ड एप्लाईड साइंसेज	सदस्य	उपस्थित
5.	**प्रो0 श्वेता आनन्द** प्रोफेसर अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बुद्धिष्ट स्टडीज एण्ड सिविलाईजेशन	सदस्य	उपस्थित
6.	**डॉ0 इन्दु उप्रेति** एसोशिएट प्रोफेसर अधिष्ठाता, प्लानिंग एण्ड रिसर्च	सदस्य	उपस्थित
7.	**डॉ0 नीती राणा** एसोशिएट प्रोफेसर अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट	सदस्य	उपस्थित

8.	**डॉ0 कीर्ति पाल** एसोशिएट प्रोफेसर प्रभारी, अधिष्ठाता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग	सदस्य	उपस्थित
9.	**डॉ0 कृष्णकांत द्विवेदी** प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ लॉ जस्टिस एण्ड गवर्नेस	सदस्य	उपस्थित
10.	**डॉ0 मनमोहन सिंह सिसोदिया** प्रभारी, छात्र कल्याण	सदस्य	उपस्थित
कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्यः			
11.	**प्रो0 वंदना पाण्डेय** प्रोफेसर अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ हयुमैनिटीज एण्ड सोशल साईसेंज	सदस्य	उपस्थित
12.	**प्रो0संजय कुमार शर्मा** प्रोफेसर अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ आई.सी.टी.	सदस्य	उपस्थित
सचिव प्रबन्ध बोर्डः–			
13.	**डॉ0विश्वास त्रिपाठी** कुलसचिव गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय	सचिव	उपस्थित
प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा नामनिर्दिशिती सदस्यः			
14.	**प्रो0विवेक कुमार** प्रोफेसर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली नईदिल्ली	सदस्य	उपस्थित (आनलाईन माध्यम से)
विशेष आमंत्रित सदस्यः			
15.	**श्री विभव मिश्रा** विश्वविद्यालय सूचीबद्ध अधिवक्ता	सदस्य	उपस्थित (आनलाईन माध्यम से)
औद्योगिक विकास के प्रतिनिधिः			
16.	**श्री मानवेन्द्र सिंह** अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0	सदस्य	उपस्थित

:: कार्यवाही का विवरण ::

प्रबन्धबोर्ड के मा0सदस्यों के स्वागत के साथ विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की 33वीं बैठक आरम्भ हुई।

33.06.01	**प्रबन्ध बोर्ड की बत्तीसवीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।** बत्तीसवीं बैठक के मद संख्या–32.30.05 के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित सदस्य प्रो0 श्वेता आनन्द तत्कालीन अधिष्ठाता, स्कूल आफ मैनेजमेंट द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवृत्त में उनका पदनाम प्रोफेसर, स्कूल आफ बुद्धिस्ट स्टडीज एण्ड सिविलाईजेशन अंकित हो गया है जिसमें सुधार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया तथा माननीय प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा इस त्रृटि को ठीक कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। प्रो0 श्वेता आनन्द द्वारा इस मद में उल्लेखित टिप्पणी पर अपनी असहमति व्यक्त की गयी। प्रो0 श्वेता आनन्द के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक 30 अक्टूबर,2022 को सम्पन्न हुई बत्तीसवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
33.06.02	**प्रबन्ध बोर्ड की बत्तीसवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का विवरण।** विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक30 अक्टूबर,2022 को सम्पन्न हुई बत्तीसवीं
33.06.03	**मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा WRIT - A , No. - 19902 of 2022 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2022 के अनुपालन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही पर विचार एवं निर्णय।** श्रीमती मीना सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांकित 28.12.2022 को प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष रखा गया तथा श्रीमती मीना सिंह द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। इनके द्वारा मा0 प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों से अपने ऊपर लगे हुए अरोपों को नकारते हुये मानवीयता के आधार पर अपनी सेवाओं की बहाली हेतु अनुरोध किया गया। श्रीमती मीना सिंह द्वारा मा0 प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के समक्ष रखे गये अपने पक्ष में जाँच अधिकारी द्वारा की गयी जाँच प्रक्रिया पर प्रश्न खडा किया गया तथा उनके विरूद्ध की गयी जाँच एवं उसके पूर्व की परिस्थितियों/पूरे घटनाक्रम को विस्तार से रखा गया। तदक्रम में मा0 प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि किसी भी निर्णय से पूर्व उनके प्रकरण में जाँच अधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच रिपोर्ट को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा पुनः अवलोकित किया जाये। प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह मतस्थिर किया गया कि श्रीमती मीना सिंह द्वारा मा0 प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों से किए गये अनुरोध के क्रम में जाँच रिपोर्ट एवं सम्बन्धित अभिलेखों का पुनः एक बार अवलोकन करने हेतु जाँच रिपोर्ट की संलग्नक सहित प्रतियाँ नामनिर्दिष्ट सदस्यों को उपलब्ध करायी जाए तथा प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में इस प्रकरण को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये।
33.06.04	**Collection Development Committeeद्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और स्कूलों के अधिष्ठाता द्वारा पुस्तकों के क्रय करने के प्राविधान किये जाने पर विचार एवं निर्णय।**

	प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें अंकित किया गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और स्कूलों के अधिष्ठाता द्वारा कोई भी पुस्तक पुस्तकालय से क्रय करने के लिए अनुशंसा भेज सकते है जिस पर किसी अन्य संकाय सदस्य एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसको प्रबन्ध बोर्ड के मा0सदस्यों द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि पुस्तकों, जर्नलस आदि को भी सम्मिलित कर लिया जाये तथा क्रय करने की परिसीमा राशि एक वर्ष में केवल रू0 25000/- की ही होगी।
33.06.05	**स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अन्तर्गत डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स का सेंटर स्थापित किये जाने के अनुरोध पर विचार एवं निर्णय।** विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अन्तर्गत डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स स्थापित किये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
33.06.06	**स्कूल ऑफ लॉ जस्टिस एण्ड गर्वेनेंस द्वारा उपलब्ध करायी गई List of Expert for Law Subjects पर विचार एवं निर्णय।** स्कूल ऑफ लॉ जस्टिस एण्ड गवर्नेंस द्वारा उपलब्ध करायी गयी List of Expert for Law Subjects को स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों आदि हेतु प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
33.06.07	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।** उपरोक्त के अन्तर्गत निम्नांकित 03 बिन्दुओं को प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों के सम्मुख चर्चा एवं अनुमोदन हेतु रखा गयाः- 1. **विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों में सेवानिवृत्त प्रोफेसर को समेकित वेतन पर नियुक्ति किये जाने पर विचार एवं निर्णय।** प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में विभिन्न स्कूलों में वरिष्ठ संकाय सदस्यों एवं प्रोफेसर की कमी है। विश्वविद्यालय की वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं वरिष्ठ प्रोफेसर की आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व की भांति सेवानिवृत्त प्रोफेसर को खुले विज्ञापन के माध्यम से समेकित वेतन पर प्रारम्भ में 02 वर्ष की सेवा अवधि हेतु रखे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तद्क्रम में प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के वर्तमान आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत सेवानिवृत्त प्रोफेसर की नियुक्ति पूर्व की भांति खुले विज्ञापन के माध्यम से 02 वर्ष की सेवा अवधि हेतु समेकित वेतन पर (नियुक्ति के समय अधिकतम आयु 68 वर्ष तक) कर ली जाये। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत संकाय सदस्यों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। मा0 अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे विभागों जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हैं अथवा विषय विशेषज्ञों की संख्या कम है, उन विभागों में खुले विज्ञापन के माध्यम से यू.जी.सी. के नियमानुसार नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। जिसे मा0 प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
	2. **श्री के. रगुपथी,सीनियर साइंटिफिक आफिसर द्वारा विश्वविद्यालय में प्रेषित किये जा रहे प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय**

	श्री के. रगुपथी, सीनियर साइंटिफिक आफिसर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 03.02.2023 को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें श्री के. रगुपथी द्वारा मकान संख्या–ए–15 टाईप–6 का आवंटन किये जाने, एरियर का भुगतान, एच.पी. कम्पनी द्वारा बनाया गया लैपटॉप का आवंटन, प्रशासनिक भवन में अनुभाग अधीक्षक को हटाकर उसी कक्ष में उनका कार्यालय स्थापित करना आदि जैसे मॉगें प्रेषित की गयी है। प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री के. रगुपथी ग्रेड पे रू0 6600/– में कार्यरत हैं तथा इस ग्रेड के अधिकारियों/कर्मचारियों को टाईप–5 का आवास अनुमन्य है जिसके क्रम में इन्हें टाईप –5 का आवास आवंटित किया गया है परन्तु इनके द्वारा माननीय कुलपति महोदय, भवन आवंटन समिति के सदस्यों, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, डां0 ओम प्रकाश आदि पर लिखित अमर्यादित टिप्पणी करते हुए आवंटन अस्वीकार कर दिया गया। श्री के. रगुपथी द्वारा अंतिम बिन्दु में श्री उमाकान्त अहिरवार, अनुभाग अधीक्षक को विस्थापित कर अनुभाग अधीक्षक का कक्ष सीनियर साइंटिफिक आफिसर को आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। यह भी संज्ञान में आया है कि प्रबन्ध बोर्ड की बैठक के दिन भी श्री के. रघुपथी द्वारा लिखित रूप से प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुए विश्वविद्यालय की एक महिला अधिष्ठाता को पद से हटाये जाने की मांग करते हुए स्वहस्ताक्षरित विधिक नोटिस प्रस्तुत की गयी। श्री के. रगुपथी की व्यक्तिगत पत्रावली के सम्मयक परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि श्री के. रघपति की नियुक्ति स्कूल ऑफ वोकेशन स्टडीज एण्ड एप्लाईड साईसेंज में सीनियर साईटिफिक आफिसर के पद पर हुई थी। वर्तमान में श्री के. रगुपथीको उन्हीं के विभाग में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ कार्यालय कक्ष आवंटित किया गया है। श्री के. रगुपथी के प्रत्यावेदन की अमर्यादित भाषा, प्रतिदिन नये प्रकार की मांग, उच्चाधिकारियों पर किये जा रहे लिखित अव्यवहारिक टिप्पणीआदि को संज्ञान में लेते हुए प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा गहरी चिंता व्यक्त की गयी तथा इसे कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत माना गया। प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से यह अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि श्री के. रगुपथी, सीनियर साइंटिफिक आफिसर की नियुक्ति उनके मूल विभाग स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एण्ड एप्लाईड साइंसेज़ में किया जाना तथा उनके ग्रेड के अनुसार ही विश्वविद्यालय परिसर में आवास का आवंटन नियमानूकूल है। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा श्री के. रगुपथी, सीनियर साइंटिफिक आफिसर द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन की भाषा, अव्यवहारिक टिप्पणी एवं अमर्यादित व्यवहार को कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार अनुचित माना गया तथा इस सम्बन्ध में मतस्थिर किया गया कि श्री के. रगुपथी, सीनियर साइंटिफिक आफिसर को कठोर एडवाईजरी जारी की जाए, जिसमें उनको आदेशित किया जाए कि उनके द्वारा विधिवत रूप से विश्वविद्यालय के दैनिक क्रियाकलापों

	का निष्पादन किया जायेगा और किसी भी प्रकार से उनका कोई आचरण विश्वविद्यालय के दैनिक क्रियाकलापों में बाधक न हो तथा भविष्य में वह यह सुनिश्चित करें कि उनका आचरण विश्वविद्यालय के कर्मचारी आचरण नियम (Employee Conduct Rule) के अनुरूप रहे।
	3. भवन आवंटन समिति की संस्तुतियों का कुलपति/ अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय भवन आवंटन समिति द्वारा वेतनमान अनुसार निर्धारित श्रेणी के आवासों का आवंटन संकाय सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के कर्मियों को आवास आवंटन संस्तुति की जाती है। समिति द्वारा आवंटन से सम्बन्धित दी गयी संस्तुतियों को कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है जिसके उपरान्त निर्धारित नियम व शर्तो के अधीन आवासों का आवंटन पत्र निर्गत किया जाता है। प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों को उक्त प्रक्रिया का इस टिप्पणी के साथ अनुमोदित की गयी कि भवन आवंटन समिति की संस्तुतियोंको कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन के उपरान्त अन्तिम निर्णय माना जाये।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(डॉ विश्वास त्रिपाठी)
सचिव, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलसचिव
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

(प्रो0 रविन्द्र कुमार सिन्हा)
अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलपति
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय